



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042025-262769
CG-DL-E-30042025-262769

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330]
No. 330]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 29, 2025/वैशाख 9, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 29, 2025/VAISAKHA 9, 1947

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2025

संदर्भ: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (1212).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस/आई एस ओ 11979-4 : 2008 नेत्र रोग संबंधी रोपण — इंट्राओक्यूलर लैंस भाग 4 लेबलिंग एवं सूचना	संशोधन संख्या 1 अप्रैल 2025	15 अप्रैल 2025	14 अक्टूबर 2025

चित्रा गुप्ता, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग एवं ट्रेनिंग)

[विज्ञापन-III/4/असा./62/2025-26]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April 2025

Ref: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (1212).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

SCHEDULE

Sl. No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS/ISO 11979-4 : 2008 Ophthalmic Implants — Intraocular Lenses Part 4 Labelling and Information	Amendment No. 1 April 2025	15 April 2025	14 October 2025

CHITRA GUPTA, Scientist G & DDG (Hallmarking and Training)
[ADVT.-III/4/Exty./62/2025-26]